कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 1812 /2ई0व0भू0, दिनांक 7 /07/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या– 10903/2015)

सन्दर्भ :– Online Objection Dated 04.06.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत प्रेषित है :–

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	It is seen from the muck dumping plan that the muck is proposed to be disposed of at 5 sites in RF land and 3 sites in State Land but this land has not been included in the forest land proposed for diversion. State Govt. may clarify this discrepancy and submit revised proposal after including the forest land required for muck disposal, if necessary.	In the proposal 9 mtr width is taken in land schedule, the road will be constructed approx. within the width of 6 mtr, the muck will be disposed within 3 mtr width after construction of RR Dry wall which land is included in land schedule.
2	It is seen from DSS analysis of the proposed CA area that this land overlaps with the CA land proposed against proposal no.FP/UK/ROAD/10143/2015, FP/UK/ROAD/12464/2015 & FP/UK/ROAD/11032/2015. The State Govt. may review the position and change the CA area and submit all necessary documents for the new area to be proposed for CA.	New CA map has been prepared & uploaded in part-I.
3	It is seen from the data given in para-14 i.e. the district profile that the progress of CA (1315.278 ha) is equivalent to the CA stipulated (1315.278 ha). State Govt. may confirm the data.	Action taken by DFO.
4	State Govt. may submit original copies of the geo referenced digital map of the proposed road as well as the land proposed for CA for placing in the hard copy of the proposal	Original copies of the geo referenced digital map of the proposed road has been submitted at Nodel Officer Deharadun vide this office letter no. 3081/2ई0व0भू0 Dtd 21.12.2017
5	CA scheme and CA suitability certificate is not uploaded at para-13 in Form A, Part-II	Action taken by DFO.
6	In para-E of online part-I it is mentioned that permanent and temporay employment for 11 person and 100 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	Employment generation data has been corrected at Sl. No. E online. As per direction from your end.
7	Justification is not authenticated by DFO in Form A, part-I, please upload Justification at para-D(i) in form A, part-I authenticated by DFO.	Justification has been authenticated by DFO & uploaded at para D in part-I.
5	Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest is shown 0.00km which is incorrect uploaded at column 7 in online part-II.	Action shall be taken by from your end please.
8	NPV details is not uploaded in FormA, part-II.	Action shall be taken by from your end please.

अतः तद्नुसार सूचना अपने स्तर से भी Upload कराने का कष्ट करें।

Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

(1.5)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 824/ 111(2)/ 08–43(एम.एल.ए.)/ 07 दिनांक 24.03.2008 द्वारा जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु रू0 441.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा का यह सीमान्त क्षेत्र अभी भी विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम भिताड़ी जनसंख्या (76) देवलधार (168) लेटी (322) एवं चौहाना (195) कुल जनसंख्या 764 के ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही निजी एवं सरकारी कार्यों हेतु सोमेश्वर एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों के लिए होती है परन्तु सीधे यातायात के अभाव के कारण इन ग्रामों की जनता को लगभग 15–20 कि0मी0 पैदल अथवा लगभग 80 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करके वाहनों को बदल कर बागेश्वर होते हुए आना जाना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता हैं। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सोमेश्वर से गिरेछीना तक लगभग 16 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्मित है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय जनता को लगभग 28 से 30 कि0मी0 की दूरी तय करके सोमेश्वर जाने के लिए यातायात एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी जिससे समय एवं धन की बचत होगी। यह क्षेत्र जनपद के दूरस्थ में स्थित है जहां पर यातायात की कठिनाई के कारण अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवायें देने को तैयार नहीं होते। इस मोटर मार्ग का निर्माण होने से छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को विद्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी। इससे क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा एवं स्थानीय युवाओं का पलायन रूकेगा। निर्माण उपरान्त यह मोटर मार्ग जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जलौनी लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने हेतु अधिक से अधिक रसोई गैस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोटर मार्ग निर्माण होने से वनों के कटान पर भी रोक लगेगी। मार्ग के संरेखण में 6.9975 है0 वन भूमि एवं मात्र 295 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त स्वतः ही काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास एवं पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर